

# राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा

पत्र क्रमांक ५३७५/अका./२०२४

छिंदवाड़ा दिनांक ३१/०८/२०२४  
५/९

## अधिसूचना

सर्वसाधारण अकादमिक समाज को सूचित किया जाता है कि राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा का कुलगीत तैयार किया जाना है। इसमें इच्छुक विद्वत् समाज के महानुभावों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। कुलगीत निर्मित करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाना वांछनीय होगा।

1. कुलगीत में विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के सभी जिलों (छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुर्ना एवं बैतूल) की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक विरासत को समाहित किया जाना चाहिए।
2. कुलगीत में विश्वविद्यालय परिक्षेत्र की आदिवासी संस्कृति की झलक एवं स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, सघन वन क्षेत्र, वन्य प्राणी विचरण पार्क एवं विशिष्ट वनोपज, कृषि क्षेत्र के प्रमुख नवाचार, प्रकृति एवं खनिज संसाधनों की उपलब्धता आदि को यथासंभव समाविष्ट किया जाना चाहिए।
3. विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के सभी जिलों (छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुर्ना एवं बैतूल जिले) से जुड़ी विभूतियाँ का यथासंभव उल्लेख किया जाना चाहिए।
4. विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह (Logo) का और उसमें अंकित वाक्य - ज्ञानम् अनंतम् के आदर्श को यथासंभव कुलगीत में समाहित किया जाना चाहिए।
5. कुलगीत हिंदी भाषा में तैयार किया जाना चाहिए एवं यथासंभव अधिकतम चार अंतरो में कुलगीत को निर्मित किया जाना चाहिए। कुलगीत की गेयता (Lyricism) होनी चाहिए। रचियता यदि चाहे तो कुलगीत का संगीत, धुन इत्यादि भी समाहित कर सकता है।
6. कुलगीत की प्रविष्टियां केवल (MS word file) में ली जायेंगी।
7. कुलगीत प्रविष्टिकर्ता को कुलगीत की मूलप्रति जमा कराते समय अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, आधारकार्ड की छायाप्रति, एवं स्वरचना का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. कुलगीत रचना के चयन का अंतिम अधिकार कुलगुरु की अध्यक्षता में गठित समिति का होगा।
9. समिति द्वारा चयनित कुलगीत रचना के रचियता को विश्वविद्यालय द्वारा 21000/- (इक्कीस हजार रुपये मात्र), स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।



10. कुलगीत रचियता को विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम रूप से चयनित कुलगीत को उपयोग करने, मुद्रित करने, गायन करने, उसकी धुन, संगीत इत्यादि अन्य सभी प्रयोजन पर सर्वाधिकार विश्वविद्यालय को देने होंगे।
11. कुलगीत से सम्बन्धित सभी आवश्यक सूचनाएं एवं कार्यवाहियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि सभी प्रविष्टिकर्ता नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट (<https://cuc.ac.in>) को अवलोकित करते रहें।
12. कुलगीत की प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार सायं 5.00 बजे तक निर्धारित है जिसे विश्वविद्यालय में केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार की जायेगी, लेकिन डाक सेवा की त्रुटि होने पर निर्धारित तिथि से विलम्ब से प्राप्त प्रविष्टियों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन कतई जिम्मेदार नहीं होगा। कोरियर या अन्य किसी भी निजी प्रेषण सेवा अथवा व्यक्तिगत तौर से प्राप्त प्रविष्टियां मान्य नहीं की जाएंगी।

अतः प्रविष्टिकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे वृहद मानसिक परिश्रम से तैयार कुलगीत को विश्वविद्यालय प्रशासन को पर्याप्त समय रहते ही निम्न पते पर पंजीकृत/ स्पीड पोस्ट से प्रेषित कर दें।

ऊपरी लिफाफे पर सबसे ऊपर "विश्वविद्यालय के कुलगीत हेतु प्रविष्टि" अवश्य लिख दें।

प्रति,

कुलसचिव,


राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय,

पी.जी.कालेज परिसर, धरम टेकरी

छिंदवाड़ा (म.प्र.) 480001

छिंदवाड़ा

दिंक : 31/08/2024  
3/9



05/08/2024

(डॉ. युवराज पाटिल)


कुलसचिव

राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय,

छिंदवाड़ा (म.प्र.)

## कुलगीत संहिता

1. कुलगीत विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के सभी जिलों (छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुर्ना एवं बैतूल जिले) के सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सम्मान के प्रतीक के रूप में इसे सार्वजनिक रूप से केवल सामूहिक गान के तौर पर गाया जाएगा।
2. कुलगीत की समाप्ति के पश्चात् ताली बजाना प्रतिबंधित होगा।
3. कुलगीत में लगने वाला समय 4.30 मिनट होगा
4. कुलगीत की लम्बाई अधिकतम चार अंतरो की होगी।
5. कुलगीत में गेयता (lyricism) होनी चाहिए

  
(डॉ. युवराज पाटिल) 05/09/24

कुलसचिव

राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय,  
छिंदवाड़ा (म.प्र.)